30

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2937-तीन/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 10-6-2013 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा - प्रकरण 35 अ-6/2011-12 अपील

श्रीमती नन्ही देवी पुत्री स्व.साहवदीन केवट
पत्नि लल्लू केवट निवासी ग्राम कैंथी पचकठा
तहसील त्योंथर जिला रीवा हाल नौबस्ता
(गाड़ीतारा टोला) तहसील त्योंथर जिला रीवा ——आवेदिका

विरूद्ध

1- शिववरण केवलट 2- शिवप्रसाद केवट
पुत्रगण साहव दीन केवट
3- श्रीमती रमरजिया पत्नि स्व. साहवदीन केवट
ग्राम कैथी पचकठा तहसील त्योंथर
जिला रीवा मध्य प्रदेश
4-मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदकगण

(आवेदिका के अभिभाषक श्री लाल प्रताप सिंह)
(अनावेदक 1 से 3 के अभिभाषक श्री देवेश मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा व्दारा प्रकरण 35 अ-6/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-6-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व. साहवदीन केवट के नाम ग्राम कैथी पचकठा में कुल किता 3 कुल रकबा 10.23 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि थी जिनकी मृत्यु उपरांत नायव तहसीलदार वृत्त गढ़ी तहसील त्योंथर ने प्रकरण कमांक 49 अ 6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक

11–9–2009 से अनावेदक कमांक 1 से 3 का बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया। नायव तहसीलदार वृत्त गढ़ी तहसील त्योंथर के आदेश दिनांक 11–9–2009 के विरूद्व आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर के समक्ष 12–12–2011 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा ने प्रकरण 35 अ–6/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–6–2013 से अपील बेरूम्याद होना निरूपित कर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदिका के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की। अनावेदकगण के अभिभाषकों के मौखिक तर्क सुने। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त गढ़ी तहसील त्योंथर के आदेश दिनांक 11–9–2009 के विरूद्व आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर के समक्ष 12–12–2011 को अपील प्रस्तुत की है अर्थात दो वर्ष एक माह के लगभग विलम्ब है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो के साथ आवेदिका ने अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एंव समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एंव बताया है कि वादग्रस्त भूमि सहदायिकी संपत्ति है जिस पर आवेदिका एंव अनावेदकगण संयुक्त रूप से काविज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। जब अनावेदकगण ने आवेदिका के हिस्से से इंकार किया तब उसने प्रश्नाधीन भूमियों के कागजात तलाशे व पटवारी से 25–11–11 को जानकारी लेने पर नामान्तरण आदेश दिनांक 11–9–09 की नकल हेतु 1–12–11 को आवेदन देने पर दिनांक 9–12–11 को नकल प्राप्त हुई उसके वाद 10, 11–12–11 का अवकाश होने पर 12–12–11 को अपील प्रस्तुत की है।

परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा–5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना

चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में आवेदिका व्दारा विलम्ब के सम्बन्ध में दिये गये कारण समाधान–कारक है।

1. मोहम्मद कादिर विरूद्व नन्नू 1968 रा0नि0 90 में प्रतिपादित है कि जब निचले न्यायालय ने किसी महत्वपूर्ण तथ्य संबंधी प्रश्न का निर्णय न किया हो, तब मामला उसके निर्णय के लिये लौटा देना चाहिये।
2. गोपाल सिंह विरूद्व चिरोंजीलाल 1992 रा0नि0 390 में बताया गया है कि अपीलीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में विसंगति पायी जाय। अधीनस्थ न्यायालय को युक्तियुक्त निर्देश के साथ मामला लौटाना चाहिये।

मृतक साहवदीन केवट के दो लड़के (अनावेदक क–1,2), पत्नि (अनावेदक क–3) तथा पुत्री (आवेदिका) विधिक वारिस है तब क्या नायव तहसीलदार ने नामान्तरण करते समय मृतक की पुत्री (आवेदिका) को व्यक्तिगत सूचना जारी की। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस पर मौन है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदिका को नामान्तरण का पता यथा–समय नहीं चला अन्यथा वह भी स्वयं् के पिता व्दारा छोड़ी गई कृषि भूमि में नामान्तरण कार्यवाही में भाग लेती, भले ही वाद में बसीयत प्रमाणित होने पर नामान्तरण के सम्बन्ध में कुछ भी आदेश होता, जिसके कारण आवेदिका व्दारा अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये विलम्ब के कारण से असहमत नहीं हुआ जा सकता, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2013 में निकाले गये निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा व्दारा प्र0क0 35 अ–6/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–6–2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये मामले का निराकरण गुणदोष के आधार किया जावे।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर